भारत INDIA
एक रुपया
ONE RUPEE

(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म०प्र०

R-595-II/2002 प्र०क्र० /नि. / / 2002.

श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज दि. 14-3-2002 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
14 MAR 2002

सुरेश कुमार पुत्र श्री गणेश प्रसाद,
निवासी ग्राम खोदुमानी, तहसील हनुमना,
जिला रीवा. म०प्र० --- आवेदक

बनाम

1- जमुनाप्रसाद पुत्र श्री बुधुबन्त दुबे,
निवासी भादोली हाल निवासी माजन
मानिकराम, तहसील हनुमना , जिला रीवा.
2- मोहनलाल पुत्र श्री सरयू प्रसाद
3- सोहनलाल पुत्र श्री सरयू प्रसाद
4- विजय कुमार पुत्र सरयू प्रसाद
5- कृष्ण कुमार पुत्र सरयू प्रसाद
6- बृजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सरयू प्रसाद
7- जगदीश प्रसाद पुत्र कालिका प्रसाद
8- दिनेश कुमार पुत्र कालिका प्रसाद
9- संतोष कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद
10- चूड़ामणि पुत्र श्री शोभनाथ ,
सभी जाति ब्राहमण, सभी निवासीगण
ग्राम खोदुमानी, थाना व तहसील हनुमना,
जिला रीवा म०प्र०

--- अनावेदकगण.

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र०क्र० 98/अपील / 97-98 में पारित आदेश दिनांक 4.1. 2. 2002 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी.

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है .

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 595-II/2002 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
२५–9–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 98/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 11–2–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 जमुनाप्रसाद ने तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 14–9–90 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रविष्टि कमांक 37 आदेश दिनांक 12–11–90 के द्वारा जुमनाप्रसाद के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक सुमेश कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10–5–94 के यह मानते हुये कि वादग्रस्त भूमि के कई भूमिस्वामी कई सहखातेदार है इसलिए उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से प्रकरण का निराकरण तहसीलदार को करना चाहिए। तहसीलदार, को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार द्वारा ने पत्यावर्तित आदेश के पालन में प्रकरण कमांक 144/अ–6/94–95 में पारित आदेश दिनांक 1–7–96 को पारित किया। अनावेदक जमुना प्रसाद द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–2–97 के द्वारा अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–2–02 के द्वारा अपील स्वीकार करते	

हुये दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये पूर्व में विकय पत्र दिनांक 14-9-90 के आधार पर जमुना प्रसाद के नाम पर पारित किया गया आदेश दिनांक 12-11-90 को प्रभावशील माना। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा कमांक 576 रकवा 1.870 हे0 में मोहनलाल का हिस्सा 5/6 अर्थात 0.259 हे0 है और इसका वह हिस्सा बांट के आधार पर तनहा भूमिस्वामी है। मोहनलाल द्वारा जमुनाप्रसाद को अपने हिस्से की उतनी की भूमि का विकय पत्र दिनांक 14-9-90 को संपादित किया था, जिसके आधार पर जमुनाप्रसाद द्वारा नामांतरण का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि रजिस्टर्ड विकय पत्र को अवैध ठहराने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक जमुनाप्रसाद के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। जहां तक आवेदक सुमेश कुमार के इस तर्क का प्रश्न है कि मोहनलाल द्वारा इसी भूमि के रकबे को उसे विकय किया गया था, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय सहित अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं के पक्ष में किये गये विकय पत्र को प्रस्तुत नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना शेष अनावेदकगण की साक्ष्य लिये तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 12-11-90 को निरस्त करने में त्रुटि की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा उचित मानते हुये यथावत रखने के आदेश प्रदान

किये है तथा अधिनस्थ न्यायालय के शेष आदेश निरस्त किये हैं।अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर सभी बिन्दुओं का समुचित निराकरण किया है, अतः अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 11–2–02 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य